न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।

13.10.2022

अभियुक्त सोनू की ओर से अपराध संख्या–332/2021 अन्तर्गत धारा–498ए,323,504,506 भा0द0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना ठाकुरद्वारा के प्रकरण में अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त वाद में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने उक्त प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। उक्त वाद में वादिनी की तरफ से फैसला कर लिया है तथा वादिनी के पति की तरफ से उसे उसकी ससुराल में बुलाने हेतु हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 में पुनः वाद दायर कर दिया है। अतः प्रार्थी को जमानत पर छोड़ा जाये।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अपराध की प्रकृति गंभीर व गैर जमानतीय है।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा से अतिरिक्त दहेज की मांग की तथा मांग पूरी ने होने पर उसको शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, मारपीट करने, गाली गलौच करने व जान से मारने की धमकी देने का अपराध किया है। अभियुक्त द्वारा आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। माामला पारिवारिक एवं वैवाहिक है। अभियुक्त वादिनी का जेठ है। इसलिए गुण–दोष पर टिप्पणी किए वगैर कोई भी ऐसा पर्याप्त कारण प्रतीत नहीं होता, जिस आधार पर अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध किया जाए। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है। तदानुसार अभियुक्त का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अभियुक्त सोनू द्वारा 30,000/– रूपये का बंध पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत प्रदान की जाती है।

दिनांक 13.10.2022

(दुष्यंत कुमार शर्मा)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।
जे0ओ0 कोड 3584